कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वॉ तल उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–एम0ई0–3/2019/971 लखनऊ दिनांक 02 मई, 2019

यू0पी0 नीट पी0जी0–2019 के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

नीट पी0जी0–2019 के अन्तर्गत आल इण्डिया की द्वितीय काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियो द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेशोपरान्त त्याग–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध मे अनेको प्रकार की पृच्छाएं(Queries) कार्यालय मे प्राप्त हो रही है कि व अपनी सीट से त्याग–पत्र दे सकते है अथवा नहीं। इस संबंध मे समस्त अभ्यर्थियो को सूचित किया जाता है कि द्वितीय काउन्सिलिंग के पश्चात् सीट से त्याग–पत्र नहीं दे सकते है, ऐसी सूचना भारत सरकार के महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा निर्गत नोटिस दिनांक 01.5.2019 (संलग्न) के द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। इस प्रकार आल इण्डिया से प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय काउन्सिलिंग के पश्चात् किसी भी दशा मे त्याग–पत्र नहीं दिया जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त यू0पी0 नीट पी0जी0 2019 की द्वितीय काउन्सिलिंग के पश्चात् आवंटित/पुनरावंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी अपनी सीट से त्याग पत्र नहीं दे सकते है। यदि फिर भी अभ्यर्थी द्वारा अपनी सीट से त्याग–पत्र दिया जाता है, तो नीति निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 9.3.2019 के प्रस्तर–8(क) व (ख) मे निहित व्यवस्थानुसार अभ्यर्थी द्वारा जमा शिक्षण–शुल्क एवं सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही बाण्ड (राजकीय क्षेत्र की सीटो हेतु) भी प्रभावी हो जायेगा।

महानिदेशक।